

अमाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1076] No. 1076] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/VAISAKHA 14, 1938

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ. 1634(अ).- केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकांउटेट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) ी धारा 10ख ी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड आकांउटेट्स (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में दिसंबर, 2015 में आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड आकांउटेट्स ऑफ इंडिया ी परिषद् के निर्वाचन के मामले में अधिनियम ी धारा 10क के अधीन उदभूत विवादों का विनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित अधिकरण ी स्थापना करती है, अर्थात् :-

(i) धी रामायन यादव, संयुक्त सचिव, और विधि सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 ीठासीन अधिकारी

(ii) श्री आलोक सामंतराय, निदेशक, निरीक्षण और अन्वेषण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

सदस्य

(iii) श्री के. एल. कम्बोज, क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र),

सदस्य

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ऐवरेस्ट पांचवा तल, 100, मरिन ड्राईव, मुम्बई - 400 002

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 1/15/2016-पी आई] के.बी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O. 1634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide disputes arising under section 10A of the Act in the matter of election to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India held in December, 2015, namely:-

Shri Ramayan Yadav,
 Joint Secretary and Legal Adviser,
 Ministry of Law and Justice,
 Department of Legal Affairs,
 Shastri Bhawan,

Presiding Officer

Member

Member

New Delhi-110001.
(ii) Shri Alok Samantarai,

Director of Inspection and Investigation, Ministry of Corporate Affairs,

Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

i) New Delhi-110001. Shri K.L. Kamboj,

Regional Director (Western Region), Ministry of Corporate Affairs, Everest 5<sup>th</sup> Floor,

100 Marine Drive, Mumbai- 400 002.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 1/15/2016-PI] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.